

उधारग्रहिता के एनपीए / एसएमए वर्गीकरण हेतु नियामक निर्देश

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया परिपत्र दिनांक नवंबर 12, 2021 सन्दर्भ संख्या RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 के अंतर्गत NBFC द्वारा ग्राहकों के ऋण खाते को एनपीए (नॉन परफार्मिंग अकाउंट/ गैर निष्पादित खाता) एवं एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट) करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उदाहरण सहित वर्गीकरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

महत्वपूर्ण तथ्य एवं शर्तें :

1. यदि ब्याज /मूल अथवा अन्य कोई राशि 90 दिनों के बाद पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अतिदेय है तो लोन अकाउंट एनपीए वर्गीकृत किया जायेगा।
2. लोन खाते को एनपीए से स्टैंडर्ड श्रेणीबद्ध करने के लिए, ग्राहक का कंपनी द्वारा दिए गए कर का पूर्ण भुगतान अनिवार्य है।
3. यदि NBFC द्वारा ग्राहक के खाते का देय पिछली तारीख से 90 दिन पूर्व, ब्याज /मूल अथवा अन्य कोई राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बकाया है, तो NBFC द्वारा ग्राहक के खाते का एसएमए वर्गीकरण निम्न प्रकार से दर्ज किया जायेगा :

एसएमए उप श्रेणी	वर्गीकरण आधार – ब्याज /मूल अथवा अन्य कोई राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अतिदेय
SMA 0	30 दिनों तक अतिदेय
SMA 1	30 दिनों से अधिक एवम 60 दिनों तक अतिदेय
SMA 2	60 दिनों से अधिक एवम 90 दिनों तक अतिदेय

उदाहरण: यदि लोन खाते के ब्याज एवं EMI की भुगतान तिथि मार्च 31, 2021 है और कंपनी को पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है तो ग्राहक के खाते का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जायेगा :

तिथि	संबंधित भुगतान की स्थिति तथागत तिथि अनुसार	वर्गीकरण स्थिति
मार्च 31, 2021	अतिदेय पूर्ण / आंशिक अप्राप्त EMI अथवा राशि	SMA 0
अप्रैल 30, 2021	अतिदेय पूर्ण / आंशिक अप्राप्त राशि	SMA 1
मई 30, 2021	अतिदेय पूर्ण / आंशिक अप्राप्त राशि	SMA 2
जून 29, 2021 तक और उसके पश्चात	अतिदेय पूर्ण / आंशिक अप्राप्त राशि	NPA

ग्राहकों को यह परामर्श दिया जाता है कि EMI का भुगतान कंपनी द्वारा लोन दिए जाते समय साझा कि गई/ भुगतान अनुसूची के अनुसार करें। विलम्ब कि अवस्था में लोन अकाउंट का वर्गीकरण उपरोक्त विधि द्वारा किया जायेगा।